रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 1983/कार्तिक 23, 1905
No. 505] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 14, 1983/KARTIKA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1983

आदेश सं. 33/83

का. आ. 811(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18), खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस सं. 1/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) भाग-1 में, वर्तमान प्रविष्टि सं. 72 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

"72क. रेयन ग्रेड वुड पल्प."

(2) भाग-2, प्रविष्टि सं. 9 अर्थात् "आई एस 2062 की कार्बन इस्पात, मदें या इसके समतुल्य विशिष्टिकरण" को हटा दिया जाएगा ।

(3) भाग-2 में, प्रविष्टि सं. 59 अर्थात् "रेयन श्रेणी को वुड पल्प" को हटा दिया जाएगा ।

(4) भाग-3 में, प्रविष्टि सं. 15 के विवरण को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा :—

"हाइड्रोमोनियम फिलामेंट यार्न और एसिटेट फिलामेंट यार्न (फर्स्ट क्वालिटी)"

[फिमिल सं. आई पी सी 3/1/83]

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th November, 1983

ORDER NO. 33|83

S.O. 811(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Import & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to the Schedule to Open General Licence No. 1| 83 dated the 15th April, 1983 :—

(1) In part I, after the existing entry No. 72, the following new entry shall be inserted :—

"72A. Rayon Grade Wood Pulp".

(2) In Part II, entry No. 9, namely, "Carbon steel items to IS-2062 or equivalent specification", shall be deleted.

(3) In Part II, entry No. 59, namely, "Rayon Grade Wood Pulp" shall be deleted.

(4) In Part III, the description of entry No. 15 shall be amended as under :—

"Cuprammonium Filament Yarn and Acetate Filament Yarn (first quality)".

[Issued from file No. IPC|3|1|83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983